राजस्व अपील संख्या : 3/2025

उनवान : स्व. भोमा के कायम मुकाम वारिसान मदनलाल व अन्य बनाम मांगीलाल व अन्य

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 3/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2025/33

अपीलाण्ट्स :–	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स :–
स्व. भोमा पुत्र अलपु जाति जटिया निवासी बेड़ा के कायम मुकाम वारिसानः– 1.1. मदनलाल पुत्र स्व. भोमाराम जाति जटिया निवासी बेडा तहसील बाली जिला पाली राज. 1.2. श्रवण कुमार पुत्र स्व. भोमाराम जाति जटिया निवासी बेड़ा तहसील बाली जिला पाली राज.		1. मांगीलाल पुत्र भीमाराम जाति जटिया निवासी बेड़ा तहसील बाली जिला पाली राज. 2. कन्हैयालाल पुत्र हन्साराम जाति सरगरा निवासी कुमटिया तहसील बाली जिला पाली राज. 3. तहसीलदार, बाली जिला पाली राज.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरुद्ध मौजा बेड़ा चक द्वितीय के नामान्तरकरण संख्या 2016 जो तहसीलदार बाली के आदेश दिनांक 13.12.2024 को स्वीकृत किया गयो जिसे निरस्त करवाने बाबत्।

उपस्थिति :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री अमृत परिहार।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता गिरधारीसिंह देवडा।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

<u>–:निर्णयः–</u>

दिनांकः 15.07.2025

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश कर मौजा बेड़ा चक द्वितीय तहसील बाली के नामान्तरकरण संख्या 2016 जो तहसीलदार बाली के आदेश दिनांक 13.12.2024 को स्वीकृत किया गयो जिसे निरस्त करवाने बाबत पेश की। अपील दर्ज की गई। रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं मौजा बेड़ा चक द्वितीय तहसील बाली खाता संख्या नया 604 खसरा संख्या 3617, 3618 क्षेत्रफल व किस्म क्रमशः 0.6200 हैक्टेयर, 0.4600 हैक्टेयर बारानी प्रथम कुल रकबा 1.0800 हैक्टेयर की आई हुई स्थित है। वादग्रस्त कृषि भूमि अपीलार्थीगण के पिताजी भोमा पुत्र अलपु को सीलिंग कार्यवाही के अधिग्रहित सिवाय चक भूमि गत खसरा नम्बर 1732 मी क्षेत्रफल 140 बीघा 13 बिस्वा में से 08 बीघा भूमि प्राधिकृत अधिकारी के केम्प बेड़ा दिनांक 22.06.1976 को भूमि आवंटित की गई एवं उसी रोज यानि दिनांक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 3/2025
उनवान : स्व. भोमा के कायम मुकाम वारिसान मदनलाल व अन्य बनाम मांगीलाल व अन्य
अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

22.06.1976 को रसीद नम्बर 09336/29 दिनांक 22.06.1976 के जरिये सनद फीस 5 रुपये जमा करवा दिये थे। जिसका उल्लेख मूल आवंटन आदेश/सनद दिनांक 22.06.1976 में किया हुआ है। इस प्रकार वादग्रस्त कृषि भूमि पर अपीलार्थीगण बहैसियत सहखातेदार काबिज है उपरोक्त उल्लेखित विवरण की कृषि भूमि बाबत् माननीय उपखण्ड अधिकारी बाली के न्यायालय में अपीलार्थीगण ने रेस्पोडेण्ट संख्या एक मांगीलाल व स्व. भीमाराम के अन्य वारिसानों के विरुद्ध राजस्व वाद संख्या 107/2021 बअनवान स्व. भोमाराम के कायम मुकाम वारिसान मदनलाल वगैरा बनाम स्व. भीमाराम के कायम मुकाम वारिसान दिलीप वगैरा व अन्य वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया है। जो आज भी लम्बित है, उक्त राजस्व वाद की आगामी तारीख पेशी दिनांक 18.02.2025 को नियत है।

उक्त राजस्व वाद के साथ उपरोक्त उल्लेखित विवरण की कृषि भूमि बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा पाये जाने अपीलार्थीगण ने राजस्व विविध संख्या 138/2021 बअनवान स्व. भोमाराम के कायम मुकाम वारिसान मदनलाल वगैरा बनाम स्व. भीमाराम के कायम मुकाम वारिसान दिलीप वगैरा व अन्य प्रार्थना अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित आदेश 39, नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त राजस्व विविध में दिनांक 16.11.2022 को उभयपक्षकारान को वादग्रस्त भूमि के रिकॉर्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे जाने की अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी की गई थी। जो स्थगन आदेश आज भी प्रभावी है। उक्त आदेश को किसी भी आदेश के जरिये आज दिन तक निरस्त नहीं किया गया है। उक्त राजस्व विविध प्रकरण आज भी लम्बित है, उक्त राजस्व विविध प्रकरण की आगामी तारीख पेशी दिनांक 18.02.2025 को नियत है।

रेस्पोडेण्ट संख्या एक ने माननीय उपखण्ड अधिकारी बाली के न्यायालय के द्वारा राजस्व विविध संख्या 138/2021 बअनवान स्व. भोमाराम के कायम मुकाम वारिसान मदनलाल वगैरा बनाम स्व. भीमाराम के कायम मुकाम वारिसान दिलीप वगैरा व अन्य में दिनांक 16.11.2022 को पारित स्थगन आदेश की अवहेलना करते हुए रेस्पोडेण्ट संख्या एक मांगीलाल ने वादग्रस्त कृषि भूमि में स्वयं को निहित हिस्सा का बेचान हस्तान्तरण पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 13.12.2024 के जरिये किया है। उक्त विक्रय उप पंजीयक कार्यालय बाली की पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 292 में पृष्ठ संख्या 65 क्रम संख्या 202403153106140 पर पंजीबद्ध किया हुआ है। जबकि उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर अपीलार्थीगण का कब्जा लगातार शान्तिपूर्वक चला आ रहा है।

उक्त पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 13.12.2024 के आधार पर रेस्पोडेण्ट संख्या दो ने वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में स्वतः नामान्तरकरण संख्या 2016 की कार्यवाही सम्पन्न

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 3/2025

उनवान : स्व. भोमा के कायम मुकाम वारिसान मदनलाल व अन्य बनाम मांगीलाल व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

करवा कर दिनांक 13.12.2024 को स्वय के हक में स्वीकृत करवा कर स्वयं का नाम भू–अधिकार अभिलेखो में प्रविष्ट करवाया है।

ग्राम वेडा चक द्वितीय के नामान्तरकरण संख्या 2016 स्वीकृति दिनांक 13.12.2024 की सम्पूर्ण कार्यवाही अपीलार्थीगण के हितों के विरुद्ध कानूनन अवैध, शून्य व निष्प्रभावी है, उक्त नामान्तरकरण कार्यवाही से व्यथित होकर अपीलार्थी पक्ष द्वारा उक्त अपील बिना देरी के निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है:–

1. ग्राम वेड़ा द्वितीय के नामान्तरकरण संख्या 2016 स्वीकृति दिनांक 13.12.2024 की सम्पूर्ण कार्यवाही अपीलार्थीगण के हितों के विरुद्ध कानूनन अवैध, शून्य एवं निष्प्रभावी है।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या एक को वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्वन्ध में किसी भी प्रकार का हस्तान्तरण प्रलेख निष्पादित कर पंजीवद्ध करने का हक अधिकार नहीं था इसके वावजुद रेस्पोडेण्ट संख्या एक ने रेस्पोडेण्ट संख्या दो के पक्ष में वादग्रस्त कृषि भूमि वावत विक्रय विलेख निष्पादित कर पंजीवद्ध करवा कर भारी भूल की है। जिससे भी उक्त अपील काविल स्वीकृति है।
3. रेस्पोडेण्ट संख्या एक अथवा स्व. भीमाराम के किसी भी वारिसान का वादग्रस्त कृषि भूमि पर कब्जा आज दिन तक नही रहा है मात्र कागजी प्रलेख तैयार कर कब्जा सुपूर्दगी के अभाव में हस्तान्तरण प्रलेख निष्पादित कर पंजीवद्ध करवाया है जिससे भी उक्त अपील काविल स्वीकृत है।
4. वादग्रस्त कृषि भूमि वावत माननीय उपखण्ड अधिकारी बाली के न्यायालय में अपीलार्थीगण ने रेस्पोडेण्ट संख्या एक मांगीलाल व स्व. भीमाराम के अन्य वारिसानों के विरुद्ध राजस्व वाद संख्या 107/2021 वअनवान स्व. भोमाराम के कायम मुकाम वारिसान मदनलाल वगैरा वनाम स्व. भीमाराम के कायम मुकाम वारिसान दिलीप वगैरा व अन्य वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत लम्वित है। उक्त राजस्व वाद के साथ उपरोक्त उल्लेखित विवरण की कृषि भूमि वावत अस्थायी निषेधाज्ञा पाये जाने अपीलार्थीगण ने राजस्व विविध संख्या 138/2021 वअनवान स्व. भोमाराम के कायम मुकाम वारिसान मदनलाल वगैरा बनाम स्व. भीमाराम के कायम मुकाम वारिसान दिलीप वगैरा व अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित आदेश, 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त राजस्व विविध में दिनांक 16.11.2022 को उभयपक्षकारान को वादग्रस्त भूमि के रिकॉर्ड व मौका की यथास्थिति वनाये रखे जाने की अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी की गई थी। जो स्थगन आदेश आज भी प्रभावी है। उक्त राजस्व विविध आज भी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 3/2025
उनवान : स्व. भोमा के कायम मुकाम वारिसान मदनलाल व अन्य बनाम मांगीलाल व अन्य
अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

लम्बित है। उक्त तमाम तथ्यों की जानकारी रेस्पोडेण्ट को शुरु से रही है। जिससे भी उक्त अपील काबिल स्वीकृति है। यहां उल्लेख करना आवश्यक है कि तहसीलदार बाली भी उपरोक्त अनवान में पक्षकार भी है।

5. ग्राम बेड़ा द्वितीय तहसील बाली के नामान्तरकरण संख्या 2016 स्वीकृति दिनांक 13.12.2024 बाबत तहसीलदार बाली ने उक्त प्रकरण में अपीलार्थी को सूचना दिये बगैर बिना किसी जांच व आधार के पारित कर स्वीकृत किया जो विधि के सर्वथा विपरित होने से प्रारम्भतः शून्य है।
6. उपरोक्त विवरण की कृषि भूमि आराजी से संबंधित जैर अपील नामान्तरकरण विधि के प्रावधानो के सर्वथा प्रतिकूल होने से प्रभावहीन एवं स्वतः अवैध है।
7. उपरोक्त नामान्तरकरण संख्या 2016 के स्वीकृति बाबत पारित आदेश दिनांक 13.12.2024 जो अवैध, शून्य एवं निष्प्रभावी विक्रय विलेख के आधार पर खोला गया है, वाद लम्बित रहने के दौरान, स्थगन आदेश के प्रभाव में रहने के दौरान खोला गया है, विधि के सर्वथा विपरित है।
8. रेस्पोडेण्ट संख्या एक ने अपीलार्थी पक्ष के विरुद्ध साजिश रचकर आपराधिक छल कपट एवं धोखाधडी कर नामान्तरकरण कार्यवाही अपीलार्थी पक्ष के बाला बाला सम्पन्न करवाई है, जो कानूनन अवैध, शून्य एवं निष्प्रभावी है। इस प्रकार अपीलार्थी पक्ष की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाना न्यायोचित है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार बाली द्वारा ग्राम बेडा 2 के नामान्तरकरण संख्या 2016 के विलेख के स्वीकृती बाबत पारित आदेश दिनांक 13.12.2024 को निरस्त फरमावें।

रेस्पोडेण्ट संख्या एक को प्रेषित सम्मन 'लेने से इनकार' की टिप्पणी के साथ पुनः प्राप्त हुआ। इसके उपरान्त भी रेस्पोडेण्ट संख्या एक को उपस्थिति हेतु पर्याप्त अवसर दिए गए। किन्तु रेस्पोडेण्ट संख्या एक आदिनांक न्यायालय में हाजिर नहीं हुए है, अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही प्रभाव में लाई जाती है। रेस्पोडेण्ट संख्या दो की ओर से काबिल अधिवक्ता श्री गिरधारीसिंह ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। रेस्पोडेण्ट संख्या तीन को प्रेषित सम्मन पूर्व में ही तामीलशुदा प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड अधीनस्थ न्यायालय से तलब होकर पूर्व में शामिल मिसल किया जा चुका है।

प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से बहस सुनने का निश्चय किया गया। काबिल अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी में वाद तथा अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का विचारण लम्बित रहते हुए तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादग्रस्त आराजी की मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखने की निषेधाज्ञा जारी होने के उपरान्त भी विवादग्रस्त

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 3/2025
उनवान : स्व. भोमा के कायम मुकाम वारिसान मदनलाल व अन्य बनाम मांगीलाल व अन्य
अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

आराजी में से बेचान तथा जरिए आलोच्य नामान्तरकरण राजस्व अभिलेख में रद्दोबदल किया गया है, जो काबिल खारिज है।

यह भी, कि आलोच्य नामान्तरकरण अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना तथा विवादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थीगण का कब्जा होने के उपरान्त भी रेस्पोडेण्ट संख्या तीन द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या दो के पक्ष में स्वीकृत किया गया है, जो कि कानूनन अवैध, शून्य एवं निष्प्रभावी है।

काबिल अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए:–

1. RRT 2013 (2) Jehal Tanti Vs. Nageshwar Singh 1033
2. RRT 2024(1) High Court Bar Association Vs. State of U.P. 409
3. (2000) 4 Rec. Civ R 203 (205) (P&H)
4. (2004) 6 Bom CR 552 (556)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

काबिल अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या दो ने वक्त बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा में हस्तान्तरण एवं पंजीयन पर रोक नहीं लगाई गई थी। रेस्पोडेण्ट संख्या दो 'सद्भावी क्रेता' है, जिसने रेस्पोडेण्ट संख्या एक के हिस्से की खातेदारी भूमि को जरिए पंजीबद्ध दस्तावेज क्रय किया है। यह भी, कि वर्तमान भू अभिलेखीय व्यवस्था अनुसार पंजीबद्ध विक्रय विलेख के आधार पर स्वतः नामान्तरकरण स्वीकृत होता है। अतः हस्तगत नामान्तरकरण अपील सारहीन होने से खारिज फरमावें।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रेषित मूल रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

अपीलाण्ट द्वारा अपील मीमों में कथन किया गया है कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली में पक्षकारों के मध्य खातेदारी घोषणा तथा रिकॉर्ड दुरस्ती बावत एक वाद प्रकरण संख्या 107/2021 लम्बित है। वादीगण/अपीलाण्ट द्वारा उक्त वाद के सहवर्ती एक प्रार्थना पत्र बावत अस्थायी निषेधाज्ञा भी प्रस्तुत किया था, जो पूर्वोक्त अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण संख्या 138/2021 के रुप में दर्ज होकर जेर ट्रायल है। उक्त तथ्य को काबिल अधिवक्ता वज़तरफ रेस्पोडेण्ट संख्या दो ने भी स्वीकार किया है।

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 138/2021 की अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित प्रतिलिपियों से यह तथ्य भी निर्विवाद रुप से ज़ाहिर होता है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा दिनांक 16.11.2022 को वादग्रस्त भूमि ग्राम बेड़ा द्वितीय के हाल खसरा संख्या 3617 रकबा 0.62 तथा खसरा संख्या 3618 रकबा 0.46 हैक्टेयर के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति आगामी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 3/2025
उनवान : स्व. भोगा के कायम मुकाम वारिसान मदनलाल व अन्य बनाम मांगीलाल व अन्य
अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख पेशी तक बनाये रखने की अन्तरिम निषेधाज्ञा पारित की गई। उक्त अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को दिनांक 18.12.2024 तक प्रत्याहरित अथवा समाप्त करने जैसा कोई आदेश उक्त पत्रावली में उपलब्ध नहीं है और न ही अप्रार्थीपक्ष द्वारा ऐसा कोई तथ्या या दस्तावेज प्रस्तुत किया है, जिस आधार पर ऐसी कोई उपधारणा की जा सके। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाली द्वारा प्रेषित रिकॉर्ड के फौरी अवलोकन से यह ज़ाहिर होता है कि ज़रिए आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 2016 दिनांक 13.12.2024 के पूर्वोक्त खसरा संख्या 3617 एवं 3618 के राजस्व रिकॉर्ड में रेस्पोडेण्ट संख्या एक के स्थान पर रेस्पोडेण्ट संख्या दो का नाम इन्द्राज करने की स्वीकृति दी गई है। पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 13.12.2024 के आधार पर दर्ज आलोच्य नामान्तरकरण को उसी दिन स्वीकृत किया गया है।

भूमिधारी तहसीलदार का यह दायित्व है कि विभिन्न न्यायालयों से पारित रिकॉर्ड की यथास्थिति सम्बन्धि स्थगन आदेशों का खतौनी में नोट अंकित करवाए ताकि स्वतः नामान्तरकरण की नवीन ऑनलाईन व्यवस्था में पंजीबद्ध विक्रय विलेखों के आधार पर स्वतः दर्ज होने वाले नामान्तरकरणों की स्वीकृति से पूर्व न्यायालय के आदेशों की पालना की जा सके।

इस प्रकार, अपीलाण्ट का यह तर्क सिद्ध होता है कि न्यायालय द्वारा विवादग्रस्त कृषि आराजी की रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखने की निषेधाज्ञा प्रभावी होने के उपरान्त भी उक्त स्थगन आदेश की अवहेलना में ज़रिए आलोच्य नामान्तरकरण राजस्व अभिलेख में इन्द्राज परिवर्तन किए गए है।

अतः हस्तगत नामान्तरकरण अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा प्रकरण संख्या 138/2021 में प्रदत्त स्थगन आदेश दिनांक 16.11.2022 के उल्लंघन में स्वीकृत आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 2016 दिनांक 13.12.2024 पटवार हल्का बेड़ा चक द्वितीय को अपास्त किया जाता है। साथ ही, प्रकरण तहसीलदार बाली को पुनप्रेषित कर निर्देश दिए जाते हैं कि न्यायालय द्वारा प्रदत्त पूर्वोक्त निषेधाज्ञा के प्रत्याहरण अथवा समाप्ति उपरान्त दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए निये सिरे से न्यायोचित निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक **15.07.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला पाली
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली

Scanned with OKEN Scanner